---/2024

प्रकरण दायर दिनांकः—15.03.2024

प्रकरण निर्णय दिनांकः— 14.08.2024

उनवान— राज. सरकार बनाम उर्मिला वगै.

राजस्व ग्राम मोराडी स्थित खातेदारी भूमि में से मौके पर चालू रास्ते की भूमि को गै.मु. रास्ता दर्ज करने बाबत

निर्णय दिनांकः—14.08.2024

तहसीलदार बॉदीकुई ने पत्र कमांकः राजस्व/2024/266 दिनांकः 14.03.2024 द्वारा राजस्व ग्राम मोराडी स्थित खातेदारी भूमि खाता सं. नया 64 पुराना 64 के खसरा नं. 923/884 रकबा 0.17 हैक्ट. में से 0.02 हैक्ट., खाता सं. नया 44 पुराना 44 के खसरा नंबर 922/884 रकबा 0.09 हैक्ट. में से 0.0150 हैक्ट., खाता सं. नया 137 पुराना 118 के खसरा नं. 673 रकबा 0.29 हैक्ट. में से 0.01 हैक्ट. भूमि का प्रस्ताव गै. मु. रास्ते के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने बाबत प्रस्तुत किया है। प्रस्ताव की ताईद में भू. अ. निरीक्षक देलाडी, पटवारी हल्का प्रतापपुरा रिपोर्ट दिनांकः 10. 03.2024, राजस्व जमाबंदी संवत 2074—77 ग्राम मोराडी खाता सं. नया 64 पुराना 64, खाता सं. नया 44 पुराना 44 एवं खाता सं. नया 137 पुराना 118 एवं संलग्न नक्शा ट्रेस जिसमें प्रस्तावित रास्ते को लाल स्याही से प्रदर्शित किया गया है, प्रस्तुत की है। तहसीलदार बॉदीकुई द्वारा उक्त खातेदारी भूमि में से मौके पर चालू रास्ते की भूमि को गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने का निवेदन किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण/खातेदारान हेतु विधिवत नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी दुलीचन्द पुत्र रामकुंवार ने प्रारंभिक आपत्ति पेश की। शेष अप्रार्थीगण/खातेदारान बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी दुलीचन्द पुत्र रामकुंवार ने प्रारंभिक आपत्ति पेश कर निवेदन किया कि खसरा नंबर 922/884 में प्रार्थी की खातेदारी भूमि स्थित है। उक्त खसरा नंबर भूमि में होकर किसी प्रकार का कोई गै. मु. रास्ता नहीं है। उक्त नम्बर भूमि में गै. मु. रास्ता निकलवाने के लिए प्रार्थी सहमत नहीं है। प्रस्ताव अस्वीकार है। अतः प्रस्ताव खारिज किया जावे।

प्राप्त प्रस्ताव पर उभयपक्ष बहस सुनी गयी। हमने उभयपक्ष बहस पर मनन किया। तहसीलदार बॉदीकुई से प्राप्त प्रस्ताव एवं संलग्न दस्तावेजात तथा अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक आपत्ति का अवलोकन किया गया। तहसीलदार बॉदीकुई द्वारा राजस्व ग्राम मोराडी स्थित खातेदारी भूमि खाता सं. नया 64 पुराना 64 के खसरा नं. 923/884 रकबा 0.17 हैक्ट. में से 0.02 हैक्ट., खाता सं. नया 44 पुराना 44 के खसरा नंबर 922/884 रकबा 0.09 हैक्ट. में से 0.0150 हैक्ट., खाता सं. नया 137 पुराना 118 के खसरा नं. 673 रकबा 0.29 हैक्ट. में से 0.01 हैक्ट. भूमि का प्रस्ताव गै. मु. रास्ते के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने बाबत पेश किया है। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner

प्रारंभिक आपत्ति में प्रस्तावित खसरा नं. 922/884 में से होकर किसी प्रकार का कोई गै. मु. रास्ता नहीं होना बताया है तथा प्रस्तावित रास्ते बाबत अप्रार्थी द्वारा असहमति प्रकट की गई है। अतः प्राप्त प्रस्ताव बाबत अप्रार्थी द्वारा प्रारंभिक आपत्ति प्रस्तुत कर असहमति प्रकट करने के कारण प्राप्त प्रस्ताव स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उभयपक्ष बहस पर मनन करने एवं तहसीलदार बॉदीकुई से प्राप्त प्रस्ताव व अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक आपत्ति के अवलोकन के आधार पर तहसीलदार बॉदीकुई द्वारा राजस्व ग्राम मोराडी स्थित खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को राजस्व रिकार्ड में गै. मु. रास्ता दर्ज करने बाबत प्रस्तुत प्रस्ताव खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

हुक्म

जाता है वास्ते बहस दि० 5/8/24 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

5/8/24 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०। बहस उभय पक्ष सुनी गयी। वास्ते आदेश दि० 14/8/24 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

14/8/24 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित। उभयपक्ष बहस पर मनन किया। प्राप्त प्रस्ताव व प्रारम्भिक आपत्ति का अवलोकन किया। प्राप्त प्रस्ताव व प्रारम्भिक आपत्ति के अवलोकन के आधार पर तहसीलदार बांदीकुई द्वारा राजस्व ग्राम-मोरडी स्थित खातेदारी भूमि में से मौके पर चालू रास्ते को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने बाबत प्रस्तुत प्रस्ताव स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है अतः तहसीलदार बांदीकुई द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली केसनम्बर होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई